प्रारूप "ब"

देखिए नियम 9 (3)(4) और (6)

कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर

क्रमांक: आर18बी(8)12/आर/ दिनांक

संपरिवर्तन आदेश

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हीरालाल चमार निवासी एम-38, गमनगर कॉलोनी सोडाला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हीरालाल चमार निवासी एम-38, गमनगर कॉलोनी, सोडाला जयपुर
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	हॉ. अनु0 जाति
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:-	
	(अ) ग्राम/ग्राम पचायत/तहसील का नाम	ग्राम पीपलोद नाथू ग्राम पचायत देवीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
	(ब) भूमि का खसरा सख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख0न0 160 रकबा 1.79 है0, ख0न0 161 रकबा 1.6004 है0 एवं ख0न0 162/2 रकबा 1.29 है0 कित.-3 रकबा 4.6840 है0
	(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्ट. या व.मी.)	ख0न0 160, 161 एवं 162/2 में से 46840 व0मी0 भूमि रूपान्तरित की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय योजना
5	संदेय प्रीमियम की दर	17.23/- प्र0व0मी0
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चा0न0 6 दिनांक 03.04.2012 से राशि 3,51,000/- एवं चा0न0 116 दिनांक 08.05.2012 से राशि 4,56,130/- कुल 8,07,130/- राजकोष में जमा करायी गई।
7	चालान की सख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो,की जमा करायी गई रकम	नही
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा करायी गई रकम	नही
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया जा	नही

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:–

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन सम्पहृत हो जायेगा।

(3) नियम–4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/ अन्य सडक मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक हेतु छोडी गई भूमि में कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा।

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगीं। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

(7) आवेदित भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए आरक्षित रहेगा। जिस पर किसी प्रकार का निर्माण/बेचान नही किया जावेगा। उक्त सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।

(8) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6 (6)राज–6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.06.07 एवं प. 6 (6)राज–6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(9) आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही है तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.2008 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा में से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपों स्थित हो तो डिपों सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा।

(10) राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्ते लागू होगी।

(11) संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 66 (310) एसई/स्थानि/जैसारों/2005/12258 दिनांक 11.02.2005 में अंकित शर्ते लागू होगी।

RA
18/07/12

जिला कलक्टर,
जयपुर

क्रमांक सम/ 7501-07 दिनांक 13-07-2012

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलक्ट्रेट, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा।
4. तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत देवीपुरा पं.स. शाहपुरा जिला जयपुर।
6. श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हीरालाल कुमार निवासी एम–38, रामनगर कॉलोनी, सोडाला जयपुर।
7. आदेश/गार्ड पत्रावली

कार्यालय तहसीलदार तहसील

अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)
जयपुर 15/7/12

1589
RA/12 1428

LAYOUT PLAN OF
KHASARA NO. 160,161,162/3 AS PER JAMABANDI RECORD
NIJI KHATEDAR= SUBHASH CHAND
VILLAGE :- PEPLODH NATHU (DEVIPURA)
TESHIL:- SHAHPURA, JAIPUR (RAJ.)